NABARD

संदर्भ सं. राबैं. डॉस/ पॉल/ 113 / जे-1/ 2019-20
9 अप्रैल 2019

परिपत्र सं. 100 /डॉस- 10 / 2019

प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

<u>नोटों की सॉर्टिंग - नोट सॉर्टिंग मशीनों (एनएसएम) पर प्रोसेसिंग के संबंध में स्पष्टीकरण</u>

हम आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 नवंबर 2009 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीसीएम सं. परिपत्र. एनपीडी.3161/ 09.39.00 (पॉलिसी)/2009-2010 की ओर आकृष्ट करते हैं।

2. इस संबंध में हम निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं-

'यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रा पेटिका द्वारा प्राप्त नकदी को पहले नोट सॉर्टिंग मशीनों पर प्रोसेस किया जाता है, नकदी की प्राप्ति के रिकॉर्ड और नोट सॉर्टिंग मशीनों पर इसकी प्रोसेसिंग की अनिवार्य जांच संयुक्त अभिरक्षक से अलग किसी अन्य अधिकारी द्वारा साप्ताहिक आधार पर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी जांच के लिए इसका रिकार्ड रखा जाएगा।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक शाखाओं/ ग्राहकों आदि से मुद्रा पेटिका में प्राप्त नकदी को इसे आगे परिचालित करने या खराब नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक में भेजने से पूर्व इन्हें नोट सॉर्टिंग मशीनों पर प्रोसेस किया जाए। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 नवंबर 2009 के परिपत्र डीसीएम सं.डीआईआर.एनपीडी.3161/09.39.00 (पॉलिसी)/2009-10 के साथ जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 19 नवंबर 2009 के निर्देश डीसीएम सं. डीआईआर.एनपीडी.3158 /09.39.00 (पॉलिसी)/2009-10 में इंगित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।'

3. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाएं।

भवदीय

के आर राव 2/19

(के आर राव)
मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पर्यवेक्षण विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 1834 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org
Department of Supervision
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 1834 • Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org